

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका सं० स्था०2/04-03/2012

/पटना, दिनांक

प्रेषक,

जे०के०पी० सिंह,  
निदेशक।

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ,  
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार सरकार के विनियोग लेखे 2013-14 का विभिन्न अनुदानों में मांग संख्या-35, मुख्यशीर्ष-3454 के अन्तर्गत अधिकाय व्यय के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्र संख्या-9/अ०लो०ले०स०(आ०व्यय)-04/2013 -4861 दिनांक-28.05.2015

महाशय,

बिहार सरकार वित्त विभाग के उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के मांग सं०-35, मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य एजेंसी, उपशीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना विपत्र कोड-S/3454022050101 शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 61.44 लाख रुपये एवं उक्त मुख्यशीर्ष के उपशीर्ष-0003 राज्य सांख्यिकी तंत्र के सुदृढीकरण वित्त आयोग विपत्र कोड-S/3454022050003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 0.23 लाख रुपये का अधिकाय व्यय प्रतिवेदित किया गया है। उक्त पत्र के आलोक में निदेशालय स्तर पर एवं विभाग के द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है एवं सभी आहरण एवं व्यय पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि उक्त शीर्ष के वित्तीय वर्ष 2013-14 का सभी कोषागार से निकासी की गई विपत्रों का शीर्षवार/मदवार मिलान महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। फिर भी यह आवश्यक है कि उक्त शीर्ष में सभी कोषागारों से निकासी की गई राशि/व्यय विवरणी महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त कर इसका मिला किया जाय, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस कार्यालय की गलत से अधिकाय व्यय का मामला उत्पन्न हुआ है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 का सभी कोषागार से प्राप्त व्यय विवरणी का प्रतिवेदन उपलब्ध

कराने की कृपा की जाय। ताकि अधिकाय व्यय के मामलों का निष्पादन किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक:- ९०९ /पटना, दिनांक 14.7.15


प्रतिलिपि:- सचिव(व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग

3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को

निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दे।

  
निदेशक